

६

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१९४५
दिनांक : ११.७.२०१५

सम्बद्धता आदेश

शासन के पत्र सख्ता सम्ब0-217 / सत्तर-2-2014-2(217) / 2014, दिनांक 28.06.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन रामदूत कालेज ऑफ एजूकेशन, नकुड़-सहारनपुर रोड, रणदेवी (सहारनपुर) को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान) विषयों में रववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन ट्रस्टीड की प्रमाणित प्रति वांछित होने, भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी से अनुमोदित न होने एवं प्राचार्य का अनुमोदन अपेक्षित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. सरस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राधिकारित परन्तुके अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कर्मियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अप्रिशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम रत्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संरथान/महाविद्यालय संरक्षण सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कर्मियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसंचय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संरथान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संरथा शासनादेश सख्ता-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार रामदूत कालेज ऑफ एजूकेशन, नकुड़-सहारनपुर रोड, रणदेवी (सहारनपुर) को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान) विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सार्वत्र सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रयेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ सचिव, रामदूत कालेज ऑफ एजूकेशन, नकुड़-सहारनपुर रोड, रणदेवी (सहारनपुर)।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

५५८५/३११
११/८
अमृता कुलसचिव (सम्बद्धता)
